आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0......39....../17–18

राज्य बनाम स्कूटी मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0–बिना नम्बर का

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख–सहित। 3
14.11.18	पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में बिहरा थाना कांड संख्या–158/17 दिनांक–21.07.17 में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (a) के तहत जब्त वाहन स्कूटी मोटर साईकिल को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि बिहरा थाना कांड संख्या–158/17 दिनांक–21.07.17 में दिवा गस्ती के क्रम में सूचना के आधार पर ग्राम–पुरीख चौक एन0एच0 327 सुपौल–सहरसा जाने वाली रोड के पास पहुँचा तो देखा कि पश्चिम दिशा से एक ब्लू रंग का स्कूटी मोटर साईकिल बिना नम्बर का चालक पुलिस बल को देखकर स्कूटी खड़ाकर भागने का प्रयास करने लगा। जिसे पुलिस की तत्परता से पकड़ लिया गया। पकड़ाये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम विजय सिंह उर्फ विजेन्द्र सिंह पिता–देव नन्दन सिंह सा0 परसरमा वार्ड नं0 11 थाना व जिला सुपौल बताया, इसी बीच ग्रामीण लोग भी जमा हो गये, उपस्थित स्वतंत्र साक्षी 1. अरविन्द मुखिया पिता–देवेन्द्र मुखिया 2. बुद्धु मुखिया पिता–मोती मुखिया दोनो सा0 पुरीख थाना बिहरा जिला सहरसा के समक्ष पकड़ाये व्यक्ति के स्कूटी की तलाशी लिया तो स्कूटी मोटर साईकिल के सीट के आगे एक चेकदार प्लास्टिक झोला में 1. काला पोलीथीन में 15 पोलीथीन देशी शराब जिसका वजन करीब 15 X 500 एम0एल0 तथा गाड़ी के सीट के नीचे डिक्की के अन्दर से काला रंग के पोलीथीन में 08 एवं उजला रंग के पोलीथीन में भी आठ दोनो पोलीथीन मिलाकर 16 पोलीथीन वजन करीब 16 X 500 एम0एल0 मिला जिसे विधिवत दोनो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष जब्त कर जब्ती सूची बनाया एवं पकड़ाये व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया तथा	

14.11.18

	विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए स्वलिखित आवेदन के आधार पर बिहरा थाना काण्ड संख्या–158/17 दिनांक–21.07.17 धारा 30 (a) बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के विरूद्ध प्रा0 नामजद अभियुक्त 1. विजय सिंह उर्फ विजेन्द्र सिंह पिता–देव नन्दन सिंह सा0– परसरमा वार्ड नं0 11 थाना व जिला–सुपौल के दर्ज किया गया। अनुसंधान के क्रम में इस काण्ड के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त विजय सिंह उर्फ विजेन्द्र सिंह को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है एवं इस काण्ड मे जब्त देशी शराब के नमुना के तौर पर करीब 01 लीटर 500 एम0एल0 का 02 पाउच जाँच हेतु उत्पाद अधीक्षक महोदय, सहरसा के पास भेजा गया है। काण्ड मे शेष जब्त देशी शराब थाना मालखाना में सुरक्षित रखा गया है जिसका विनष्टीकरण आवश्यक है। उक्त देशी शराब और जब्त वाहन को अभिरक्षा में लेकर अभियोग दर्ज किया गया। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जब्त वाहन से अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि जब्त वाहन से शराब का परिवहन किया गया है। जिससे वाहन का अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने की मंशा स्पष्ट होती है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जब्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है। विपक्षी की ओर से कारणपृच्छा दाखिल। कारणपृच्छा में अभिकथन किया गया और विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिकथन किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नही है न ही वह शराब का कारोबार करता है और न ही स्कूटी से कोई शराब या आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है, उनके पास स्कूटी के सभी वैध कागजात है। लेकिन इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य आवेदक द्वारा नही प्रस्तुत किया गया। विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाहन से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद जब्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की तहत उक्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है। अतः जब्त वाहन स्कूटी मोटर साईकिल को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि जब्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत नीलामी कर विक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को दें। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है। 14.11.17 समाहर्त्ता, सहरसा। 14.11.17 समाहर्त्ता, सहरसा।	

ज्ञापांक 1794-2/विधि, सहरसा, दिनांक 15-11-2017

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा/अधीक्षक उत्पाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
14.11.017